फर्द अहकाम

मागोती वगैरा बनाम मनमोहन वगैरा
उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा
80/2012

क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/12/5	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादी के वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया लेकिन उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के आदेश दावा के अनुसार पेशी के खारिज किया जाता है। निर्धारित मार्ग लाने हेतु कलक्टर उपखण्ड मालाखेड़ा पत्रावली के साथ 23 पन्ने रोकड़ नकल ले कर के तथा 90 प्रति शामिल करार हो।	